रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 1970/पौष 2, 1892
No. 209] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 1970/PAUSA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd December 1970

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to West Germany during the licensing year 1971.*

No. PN(West Germany Licensing)/2 of 1970.—1. The scheme relates to the export of all varieties of millmade cotton fabrics, made-up items and readymade garments made out of millmade fabrics from India to West Germany during the Licensing year 1st January, 1971 to 31st December, 1971.

2. Licences under the scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on the basis of quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first-served basis. The quota certificates will be issued on presentation by the exports of firm contract and a proforma invoice indicating along with other details, the nett weight in kgs. of goods in the Form Prescribed by Texprocil for the purpose.

3. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following groups:—

Group I.—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not.

Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II.—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton.

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3, and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

4. According to the agreement imports of cotton textiles into West Germany will be admitted by competent West Germany Authorities only on presentation of the Green Certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the West German Authorities would issue import licence.

5. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E. E. C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50/- ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas subject to a minimum of Rs. 2.50/-.

8. All quota holders shall have to submit a monthly report to the Cotton Textiles Export Promotion Council giving details of the shipments against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. The E. E. C. Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme (b) keep a watch over the performance from time to time (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme, and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, inter alia, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reason.

10. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE", 5th Floor, No. 9, Mathew Road, Bombay-4.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1970

विषय: लाइसेंस वर्ष 1971 के दौरान पश्चिम जर्मनी को भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए लाइसेंस देने से संबंधित योजना ।

संख्या पी० एन० (पश्चिमी जर्मनी लाइसेंस)/2/1970:—1. यह योजनालाइसस वर्ष 1 जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक के दौरान सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्र, तैयार माल और मिल निर्मित वस्त्रों से तैयार किए गए पहनावों का भारत से जर्मनी के लिए निर्यात करने से संबध रखती है।

2. इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर लाइसेंस जारी किए जायेंगे । निर्यातकों द्वारा फर्म संविदा और एक प्रपत्र जिसमें बीजक का संकेत करते हुए सूती वस्त्र संवर्धन परिषद द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित फार्म में अन्य विवरणों के साथ माल का किलोग्राम में वास्तविक वजन का संकेत किया गया हो, प्रस्तुत करने पर कोटा प्रमाणपत्र जारी किए जायेंगे ।

3. निर्यात करने और कोटा लाइसेंस देने के विचार से सूती वस्त्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांट दिया गया है :—,

वर्ग 1 सूती वस्त्र भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ । वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :—

बी, बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी8, सी और सी1 ।

वर्ग 2 अन्य सूती वस्त्र, तयार सामग्री और सूत की विविध सामग्री:—

वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती हैं:—

सी2, सी3, सी4, सी5, सी6, सी7, डी, डी1, डी3, डी4, इ, ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, ई6, ई7, ई8, ई9, ई10, ई11, एफ, एफ1, एफ2, एफ3, और एफ4 ।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध हैं ।

4. करार के अनुसार, पश्चिम जर्मनी में सूती वस्त्रों की आयात की अनमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टिफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही पश्चिम-जर्मन के समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जायगी, जिसके आधार पर पश्चिम जर्मनी के प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

5. लाइसेंस भारत के किसी भी भाग से पोत लदान के लिए वैध होंगे ।

6. ई० ई० सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे ।

7. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 2.50 रुपये के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूला जायेगा । इसकी न्यनतम राशि 2.50 रुपये होगी ।

8. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किया गया है, उसके लिए उन्हें पोत लदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी । ये ब्योरे परिषद के पास अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए ।

9. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे—(क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समयसमय पर कार्यपालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से संबंधित उपन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ)

योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे । कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृति है । उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द करदे ।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

"इंजीनियरिंग सेंटर"
5वीं मंजिल, 9 मेथ्यू रोड,
बम्बई–1

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970